भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5348
05 अप्रैल, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: पश्चिम बंगाल में पीएम किसान योजना का कार्यान्वयन
5348. श्री कुनार हेम्ब्रम:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) उक्त योजना के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि आंबटित की गई है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का कार्यान्वयन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

पीएम-किसान योजना के तहत निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं है। योजना के तहत लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद नामांकित किए गए लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किए जाते हैं ।

दिनांक, 23/03/2022 तक, पश्चिम बंगाल के कुल 46,18,934 पात्र किसान पीएम-किसान के तहत लाभान्वित हुए हैं और विभिन्न किश्तों के माध्यम से उन्हें 2616.14 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

****